रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 480] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 1976/कार्तिक 19, 1898
No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 1976/KARTIKA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September 1976

S.O. 719(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Copyright Act 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby reconstitutes the Copyright Board consisting of :

Chairman

1. Justice Hardayal Hardy (Retd.) Chief Justice, Delhi High Court.

Members

2. Shri J. C. Mathur, I.C.S. (Retd.)

3. Shri S. Balakrishnan, Joint Secretary (Retd.) Ministry of Home Affairs.

4. Shri N. D. V. Venkatesh, Secretary Law & Parliamentary Affairs, Government of Karnataka, Bengalore.

5. Shri D. C. Chakraborti, Secretary Judicial, Government of West Bengal, Calcutta.

6. Shri Shivaji Tulaji Raje Bhosale, Secretary Law & Judiciary Department, Government of Maharashtra, Bombay.

7. Secretary to the Government of Haryana, Administration of Justice Department, Chandigarh.

Shri Justice Hardayal Hardy, Shri J. C. Mathur and Shri S. Balakrishnan shall hold office for a term of 4 years w.e.f. 24th September, 1976.

The other members of the Board shall hold office for the full term of the Board or till the date they hold office under their respective Governments, whichever date is earlier.

[No. F. 4-11/76-CO]

V. KITCHLU, MISS
Joint Educational Adviser.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1976

का० आ० 719 (अ).—कापी राइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के खंड 11 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

अध्यक्ष

1. न्यायाधीश हरदयाल हार्डी (सेवा-निवृत्त) मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

सदस्यगण

2. श्री जे० सी० माथुर (सेवा-निवृत्त) आई० सी० एस० ।
3. श्री एस० बालकृष्णन् (सेवा-निवृत्त) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय ।
4. श्री एन० डी० वी० वन्कटेश सचिव, विधि तथा संसदीय कार्य, कर्नाटक सरकार, बंगलौर ।
5. श्री डी० सी० चक्रवर्ती, न्यायिक सचिव, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।
6. श्री शिवाजी तुलाजी राजे भोसाले सचिव, विधि तथा न्यायपालिका विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई ।
7. सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, चंडीगढ़ ।

न्यायाधीश श्री हरदयाल हार्डी, श्री जे० सी० माथुर तथा श्री एस० बालकृष्णन् 24 सितम्बर, 1976 से 4 वर्ष की अवधि तक के लिए अपने पद पर रहेंगे ।

बोर्ड के अन्य सदस्य अपने पद पर बोर्ड की पूर्ण अवधि तक अथवा जिस तारीख तक वे अपनी-अपनी सरकारों के अधीन अपने पदों पर रहते हैं, जो भी पहले हों, बने रहेंगे ।

[सं० एफ० 4-11/76-सी०ओ०]

(कुमारी) वी० किचलू,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976